

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 392/2010/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम
मैसर्स सरना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन,
7823, रोशन आरा रोड़, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 28/11/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 84 के तहत अपील संख्या 869/आरएसटी/एनआरडी/1998-99 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.04.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-I, जयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 19.02.99 को वाहन संख्या एच.आर. 38/बी-0689 को देहली रोड़, पुराना चुंगी-नाका, जयपुर में चैक किये जाने पर माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित परचून माल से सम्बन्धित 34 बिल्टियां व इनसे सम्बन्धित बिल प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त बिल संदेहास्पद प्रतीत होने से माल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि माल दिल्ली से आंध्रप्रदेश व तमिलनाडू के लिये परिवहनित किया जा रहा था, जिसमें राजस्थान राज्य के कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी। सक्षम अधिकारी द्वारा बिलों की विभागीय कम्प्यूटर से जांच की जाने पर कुछ बिल सही पाये गये व कुछ बिलों का मिलान नहीं हुआ। उक्त आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा मिथ्या व कूटरचित दस्तावेजों से माल परिवहन किया जाना अवधारित करते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 69,824/- का आरोपण आदेश दिनांक

लगातार.....2

04.03.1999 से किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.04.2009 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(8) के तहत जो आदेश पारित किया गया था, वह विधिसम्मत था, क्योंकि दस्तावेजों का विभागीय कम्प्यूटर से मिलान नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में मिथ्या व कूटरचित दस्तावेजों से माल परिवहनित किये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत थी, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अनुसार माल का परिवहन दिल्ली से आंध्रप्रदेश व तमिलनाडू के लिये किया जा रहा था। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि माल के प्रेषक व्यवहारियों के पंजीयन नम्बरों की जांच सी.डी. से किये जाने पर वे गलत पाये गये थे। सक्षम अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि माल के प्रेषक व्यवहारी मिथ्या अथवा कूटरचित हैं। इसके विपरीत स्वयं सक्षम अधिकारी ने यह माना है कि कुछ व्यवहारी विभागीय कम्प्यूटर से सही पाये गये हैं। अन्य व्यवहारियों के सम्बन्ध में कम्प्यूटर फ्लॉपी के अलावा कोई जांच किया जाना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि माल राज्य में कहां उतारा गया है। व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष बिल्टियों की प्रतियां पेश की गयी थी, जिसमें माल का प्रेषण आंध्रप्रदेश में किया जाना प्रमाणित करने हेतु बिल्टियों पर आंध्रप्रदेश की वाणिज्यिक कर विभाग की चैकपोस्ट मदरूर की सील लगी हुई प्रति पेश की गयी थी, जिसमें आंध्रप्रदेश में माल का आगमन दिनांक 25.03.99 दर्ज किया हुआ है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा माल की डिलीवरी सम्बन्धी रसीदें भी प्रस्तुत की




लगातार.....3

गयी थी, जिसमें प्रत्येक बिल्टीवाईज दिनांक 27.03.1999 को माल की डिलीवरी आंध्रप्रदेश के व्यवसायियों को दिया जाना अंकित था। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि माल का आगमन दिल्ली से हुआ था एवं माल की डिलीवरी आंध्रप्रदेश राज्य में की गयी थी। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 10 एस.टी.टी. 219 मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय (2003) 2 आर.टी.आर. 159 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स कृष्णा फूड कॉर्पोरेशन में माल के राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित किये जाने के आधार पर शास्ति के आरोपण को अनुचित माना गया है। ऐसी स्थिति में राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये परिवहनित माल के सम्बन्ध में बिना कोई युक्तियुक्त जांच के, व्यवहारी के जवाब को अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है एवं अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2009 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य